बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांकः- 336684 पटना, दिनांकः- 13/11/17

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(जिला पृच्छा)-102-58/2017

प्रेषक,

राहुल रंजन महिवाल, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषयः- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति श्रेणी में प्रदर्शित होने वाले सामान्य तथा अल्पसंख्यक परिवारों को आवास की स्वीकृति के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-27 दिनांक-24.10.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित मामले में भारत सरकार से प्राप्त मंतव्य के आलोक में प्रासंगिक पत्र की कंडिका-8 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत SECC-2011 के आवास विहीन परिवारों की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति श्रेणी में प्रदर्शित होने वाले सामान्य तथा अल्पसंख्यक परिवारों को उसी कोटि में ही आवास की स्वीकृति दी जाएगी जिस कोटि की सूची में उसका नाम प्रदर्शित हो रहा है, किन्तु इस मामले में व्यवहारिक कठिनाईयों को देखते हुए भारत सरकार से पुन: स्पष्ट मार्गदर्शन देने हेतु अनुरोध किया गया है । सम्प्रति योजना के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए तत्काल निम्न प्रकार से आवास की स्वीकृति दी जाएगी :-

"प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत SECC-2011 की सूची में अनुसुचित जाति/अनुसूचित जन जाति श्रेणी में प्रदर्शित होने वाले सामान्य तथा अल्पसंख्यक परिवारों को तत्काल अनुसुचित जाति/अनुसूचित जन जाति श्रेणी में आवास की स्वीकृति नहीं दी जायेगी ।"

अत: उपर्युक्त के आलोक में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु सूचित किया जायेगा ।

विश्वासभाजन,
13/11/17
(राहुल रंजन महिवाल)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :- 336684 पटना, दिनांकः- 13/11/17

प्रतिलिपि:- IT Manager ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

D:\D Drive\Mukesh\IAY 1968a.doc